नरेश / आसीन

मु.न. 41/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
7.8.2023	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज स्थानान्तरण पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 24.8.2023 को पेश हो।	
24.08.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज स्थानान्तरण पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6.9.23 को पेश हो।	
6.9.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज स्थानान्तरण पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.9.23 को पेश हो।	
29.9.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 9.10.23 को पेश हो। रेस्पो. पक्षकार के अधिवक्ता। के अवकाश पर है।	
9.10.23	पत्रावली पेश। अपीलांट/रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरूद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलतः अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)	